फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

कपिल कुमार बनाम सावित्री

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 678 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
19.07.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2022 पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1/8/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 2/8/22 को पेश हो।	
2/8/22	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से सुभाष कुमार शर्मा अधिवक्ता उपस्थित वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर इकबाल जवाब पेश किया फरीकैन राजी के जवाब पेश किया साक्ष्य वादी में वादी ने शपथपत्र पेश किया जिरह नहीं करना चाहते पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8/8/22	बहस फरीकैन उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 10/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/8/22	बमौजूदगी फरीकैन उपस्थित वाद वादी आपसी सहमति साक्ष्य सबूत के आधार प्रमाणित होने के कारण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर आज्ञा शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 678 सन 2022

अनवान :—

1. कपिल कुमार पुत्र मु. सावित्री पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। **वादी**

बनाम

1. सावित्री पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. माया देवी पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पूनम सुथार पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. अनु पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. भानू पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 10/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 361/374 की कुल 10.0030हैक्‍ में से 2500/10003 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पति अमरसिह पुत्र बिश्नाराम के नाम से दर्ज थी जो उसे अपने पिता बिशनारम पुत्र पन्नाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बिशनाराम पुत्र पन्नाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र अमरसिह के नाम एव अमरसिह के देहान्त होने पर उसकी पत्नी सावित्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिशनाराम व उसके पुत्र अमरसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अमरसिह पुत्र बिशनाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पति अमरसिह पुत्र बिशनाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमे सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्वात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 361/374 की कुल 10.0030हैक में से 2500/10003 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पति अमरसिह पुत्र बिशनाराम के नाम से दर्ज थी जो उसे अपने पिता बिशनारम पुत्र पन्नाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बिशनाराम पुत्र पन्नाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र अमरसिह के नाम एव अमरसिह के देहान्त होने पर उसकी पत्नी सावित्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बिशनाराम व उसके पुत्र अमरसिह के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अमरसिह पुत्र बिशनाराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 361/374 की कुल 10.0030हैक में से 2500/10003 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बिशनाराम वल्द पन्नाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने उपर उसके पुत्र अमरसिह के नाम से दर्ज हुई व अमरसिह के देहानत होने पर उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासतन

Scanned with CamScanner

से दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी की माता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 361/374 की कुल 10.0030हैक्ट में से 2500/10003 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कपिल कुमार पुत्र मु. सावित्री पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सावित्री पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. माया देवी पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. पूनम सुथार पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. अनु पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. भानू पुत्री सावित्री देवी पत्नी अमरसिह जाति खाती निवासी भुकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 678 सन 2022 निर्णय दिनांक– 10/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 361/374 की कुल 10.0030हैक्‍ में से 2500/10003 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner